C — आजीविका एवं उद्यमिता

इन्क्यूबेशन / स्टार्टअप सुविधा केंद्र (Incubation / Startup Facilitation Centre)

यह संस्थान क्या है

एक इन्क्यूबेशन या स्टार्टअप सुविधा केंद्र प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को व्यवसाय विचारों को कार्यशील उद्यमों में विकसित करने में मदद करता है। यह किसी विश्वविद्यालय के भीतर हो सकता है, राज्य स्टार्टअप मिशन द्वारा संचालित, या नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (AIC) के रूप में स्थापित हो सकता है। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (ACIC), जो भी अटल नवाचार मिशन के तहत हैं, असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं — जिसमें टियर-2 और टियर-3 क्षेत्र शामिल हैं — और AIC जो स्केल-अप सहायता देते हैं उसके बजाय सामुदायिक-स्तरीय नवाचार पर केंद्रित हैं। कुछ AIC और ACIC (अटल नवाचार मिशन (AIM) द्वारा नियुक्त अन्य मेज़बान संस्थानों के साथ) अटल टिंकरिंग लैब (ATL) सारथी ढाँचे के तहत नोडल संगठनों के रूप में काम करते हैं — स्कूल-स्तरीय अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) के क्लस्टरों को आधार देते हैं और स्कूल-से-स्टार्टअप पाइपलाइन बनाने के लिए अटल छात्र नवोन्मेषी कार्यक्रम (ASIP) चलाते हैं। 2025 तक: जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) लगभग 95 जैव-इन्क्यूबेटरों का समर्थन करती है (BioNEST योजना); विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) NIDHI (राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं उपयोग पहल) कार्यक्रम के तहत 150 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर चलाता है। इस गाइड के अधिकांश संस्थानों के विपरीत, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केंद्र अधिकांश जिलों में मौजूद नहीं है — कई जिलों में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी। यदि आपके पास कोई व्यवसाय विचार है और आप उसे विकसित करने के लिए संरचित सहायता चाहते हैं, तो पहला क़दम यह पता लगाना है कि आपके पास कोई केंद्र मौजूद है या नहीं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपको मेंटरशिप, को-वर्किंग स्थान, कंपनी पंजीकरण में मदद, या निवेशकों एवं सरकारी सीड-फंड योजनाओं से जुड़ाव चाहिए, तो इन्क्यूबेशन केंद्र इसी सहायता को देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शासन

कानून / नीति	दायरा
स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), 2016)	स्टार्टअप मान्यता, कर लाभ और सहायता का राष्ट्रीय ढाँचा
अटल नवाचार मिशन दिशा-निर्देश (नीति आयोग)	अटल इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित और वित्त-पोषित करते हैं
राज्य स्टार्टअप नीतियाँ	राज्य-विशिष्ट प्रोत्साहन और इन्क्यूबेशन सहायता
DST प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर दिशा-निर्देश	विश्वविद्यालय-आधारित इन्क्यूबेटरों को वित्त-पोषित करते हैं

- **केंद्र:** DPIIT (स्टार्टअप इंडिया) / नीति आयोग (AIM) / DST (TBI) / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय (नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (ASPIRE))
- **राज्य:** राज्य स्टार्टअप मिशन / राज्य उद्योग विभाग
- **संस्थान:** इन्क्यूबेशन प्रबंधक या CEO केंद्र चलाते हैं
- **संस्थागत निगरानी (केंद्र-प्रकार के अनुसार):**
- **अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (AIC):** संचालन बोर्ड (नीति आयोग AIM दिशा-निर्देशों के अनुसार) — CEO, मेज़बान संस्थान प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ, और नीति आयोग प्रतिनिधि शामिल हैं; सलाहकार बोर्ड क्षेत्र मेंटरशिप प्रदान करता है
- **प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (TBI):** DST के TBI दिशा-निर्देशों के तहत सामान्य परिषद और सलाहकार बोर्ड गठित; मेज़बान संस्थान का प्रधान अन्वेषक संचालन की अध्यक्षता करता है
- **राज्य स्टार्टअप मिशन इन्क्यूबेटर:** राज्य स्टार्टअप नीति के अनुसार शासित; CEO राज्य स्टार्टअप मिशन निदेशक को रिपोर्ट करते हैं
- **विश्वविद्यालय / संस्थान-मेज़बान इन्क्यूबेटर:** निगरानी आमतौर पर एक संकाय समन्वयक के माध्यम से होती है, जो डीन (अनुसंधान) या कुलपति को रिपोर्ट करते हैं
- **वित्त-पोषण:** AIC को नीति आयोग से 5 वर्षों में ₹10 करोड़ तक मिलते हैं; ACIC को AIM से 5 वर्षों में ₹2.5 करोड़ तक, मेज़बान संस्थान / वित्त-पोषण साझेदार से PPP मॉडल के तहत समतुल्य योगदान के साथ; TBI को DST अनुदान मिलते हैं; राज्य-वित्त-पोषित केंद्र नीति के अनुसार भिन्न होते हैं
- **सीड सहायता निवेश समिति** AIC द्वारा गठित; सीड कैपिटल सीमा सामान्यतः प्रति स्टार्टअप ₹25 लाख है, AIC मानदंडों के तहत प्रलेखित अपवादों में ₹40 लाख तक या NIDHI-SSP के तहत ₹1 करोड़ तक। सीड कैपिटल का उपयोग AIC सुविधाओं के लिए नहीं किया जा सकता।

मुख्य पद

पद	जिम्मेदारी
इन्क्यूबेशन प्रबंधक / CEO	केंद्र चलाते हैं; प्रवेश, कार्यक्रम, और साझेदारियाँ प्रबंधित करते हैं
ATL सारथी क्लस्टर समन्वयक	AIC/अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (ACIC) में नामित टीम-सदस्य (अक्सर इन्क्यूबेशन प्रबंधक) जो आसपास की अटल टिंकरिंग लैब्स के क्लस्टर का संचालन करते हैं
मेंटर / मार्गदर्शक	विज़िटिंग या अंशकालिक उद्योग पेशेवर एवं उद्यमी जो स्टार्टअप को परामर्श देते हैं
इन्क्यूबेटी (Incubatees)	स्थान, मेंटरशिप और संसाधनों का उपयोग करने वाले उद्यमी
जिला उद्योग केंद्र (DIC) महाप्रबंधक	संकेत दे सकते हैं कि जिले में कोई स्टार्टअप सुविधा है या नहीं (यदि कोई केंद्र मौजूद नहीं है)

अनिवार्य सेवाएँ

- को-वर्किंग स्थान, बैठक कक्ष, प्रोटोटाइपिंग लैब्स और इंटरनेट प्रदान करना
- मेंटरशिप देना: व्यवसाय मॉडल परिशोधन, गो-टू-मार्केट रणनीति, पिच तैयारी, फंडिंग के लिए तत्परता
- स्टार्टअप को निवेशकों, सरकारी सीड-फंड योजनाओं और बैंक ऋणों से जोड़ना
- कंपनी पंजीकरण, ट्रेडमार्क/पेटेंट दाख़िला, GST पंजीकरण और अनुपालन में सहायता
- नेटवर्किंग, बाज़ार पहुँच, और इन्क्यूबेटरों के बीच जुड़ाव की सुविधा देना
- कार्यशालाएँ, बूटकैंप, हैकाथॉन और एक्सेलेरेटर कार्यक्रम संचालित करना
- जहाँ AIC/ACIC ATL सारथी नोडल संस्थान के रूप में काम करता है: लगभग 20-30 आसपास की ATLs (कुछ बड़े) के क्लस्टरों को आधार देना, शिक्षकों और छात्रों के लिए क्षमता-निर्माण सत्र संचालित करना, स्कूलों को हैंडहोल्ड करना, मिनी-हैकाथॉन आयोजित करना, और अटल छात्र नवोन्मेषी कार्यक्रम (ASIP) के माध्यम से स्कूल-से-स्टार्टअप पाइपलाइन बनाना

संबद्ध योजनाएँ

- **स्टार्टअप इंडिया (DPIIT मान्यता)** — कर लाभ (3 साल की आयकर छूट), श्रम/पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन, खरीद वरीयताएँ
- **अटल नवाचार मिशन** — AIC वित्त-पोषण, स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** — ₹50 लाख (विनिर्माण) / ₹20 लाख (सेवाएँ) तक के ऋण, 15-35% सब्सिडी के साथ
- **स्टैंड-अप इंडिया** — SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण (मूल योजना मार्च 2025 में समाप्त; पुनर्संरचित योजना 16 मार्च 2026 को घोषित, अभी लॉन्च नहीं)
- **राज्य स्टार्टअप योजनाएँ** — राज्य के अनुसार भिन्न (iStart राजस्थान, UP स्टार्टअप पॉलिसी, MP संपर्क, आदि)
- **NIDHI-TBI** (राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं उपयोग पहल – प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर) — प्रौद्योगिकी नवाचार-केंद्रित इन्क्यूबेटर, मुख्य रूप से शैक्षणिक, तकनीकी या R&D संस्थानों द्वारा होस्ट किए जाते हैं; को-वर्किंग स्थान, प्रोटोटाइपिंग लैब्स, मेंटरिंग, क़ानूनी/वित्तीय/IP सहायता प्रदान करते हैं और शोध परिणामों को स्टार्टअप में परिणत करने में मदद करते हैं
- **NIDHI समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (NIDHI-iTBI)** — असेवित क्षेत्रों के लिए समर्पित संस्करण (टियर-2/3 शहरों और नवजात पारिस्थितिकी तंत्र)
- **BioNEST** — जैव-प्रौद्योगिकी, मेडटेक और जीवन-विज्ञान स्टार्टअप के लिए विशेष जैव-इन्क्यूबेशन के लिए BIRAC का प्रमुख कार्यक्रम — उन्नत प्रयोगशालाएँ, नियामक मार्गदर्शन और उद्योग जुड़ाव प्रदान करता है
- **ASPIRE (MSME) के तहत आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर (LBI)** — स्थानीय रोजगार अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं को परंपरागत क्षेत्रों — खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कृषि उपकरण — में सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल-आधारित इन्क्यूबेशन

कैसे ढूँढें

पोर्टल: startupindia.gov.in — इन्क्यूबेटर निर्देशिका, राज्य के अनुसार फ़िल्टर; AIC सूची के लिए aim.gov.in। AIC की सूची: aim.gov.in/selected-atal.php। स्थापित इन्क्यूबेशन केंद्रों (EIC, पहले से संचालित इन्क्यूबेटरों के लिए AIM की स्केल-अप योजना) की सूची: aim.gov.in/established-atal.php। NIDHI-TBI / NIDHI-iTBI सूचियाँ: nidhi.dst.gov.in। BioNEST जैव-इन्क्यूबेटर: birac.nic.in/bionest.php। आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की सूची: aspire.msme.gov.in/WriteReadData/DocumentFile/Annexure-I.pdf।

इसके अलावा: जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय में पूछें, या DIC महाप्रबंधक से जाँच करें

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील इन्क्यूबेशन केंद्र में होना चाहिए: कम-से-कम 25-50 स्टार्टअप के लिए को-वर्किंग स्थान, बैठक एवं प्रस्तुति कक्ष, इंटरनेट और बुनियादी IT बुनियादी ढाँचा, और नियमित प्रवेश-चक्रों के साथ एक मेंटरशिप नेटवर्क। कुछ केंद्रों में प्रोटोटाइपिंग लैब्स और सीड-फंड तंत्र भी होते हैं। AIC बुनियादी ढाँचा मानक न्यूनतम लगभग 5,000 वर्ग फीट निर्मित स्थान (बिना लैब के) या लगभग 10,000 वर्ग फीट (लैब/वर्कशॉप के साथ) निर्धारित करते हैं; TBI और LBI की बुनियादी-ढाँचा अपेक्षाएँ अलग होती हैं।

एक क्रियाशील इन्क्यूबेशन केंद्र कैसा दिखता है

- स्टार्टअप वर्तमान में स्थान से काम कर रहे हैं, सक्रिय कार्यक्रमों के साक्ष्य के साथ
- प्रवेश प्रक्रिया खुली और स्पष्ट रूप से प्रलेखित है — किसी एक कॉलेज के पूर्व-छात्रों तक सीमित नहीं
- इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप स्थानीय अर्थव्यवस्था से प्रासंगिक क्षेत्रों में काम करते हैं
- कम-से-कम एक स्टार्टअप ने उत्पाद या सेवा लॉन्च की है और इन्क्यूबेशन अवधि के बाद भी ख़ुद को चलाया है
- केंद्र किसी विशेषाधिकार-प्राप्त शैक्षिक पृष्ठभूमि के बिना भी सुलभ है
- पिछले 6 महीनों में मेंटरशिप सत्र और कार्यशालाएँ आयोजित हुई हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु इन्क्यूबेशन प्रबंधक / CEO हैं। AIC के लिए, सलाहकार बोर्ड समकक्ष एस्केलेशन है। विश्वविद्यालय-होस्टेड इन्क्यूबेटर संकाय समन्वयक / डीन (अनुसंधान) के माध्यम से जाते हैं।

सेवा के बाद। मामला मूल योजना प्राधिकरण तक बढ़ाया जाता है — नीति आयोग (AIC), DST (TBI), राज्य स्टार्टअप मिशन, या DPIIT स्टार्टअप इंडिया।

बाहरी। DPIIT स्टार्टअप इंडिया startupindia.gov.in पर एक शिकायत पोर्टल चलाता है। DPIIT स्टार्टअप इंडिया हेल्पलाइन (AIC पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक इन्क्यूबेटर योजनाओं को कवर करती है): 1800-115-565। नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन पोर्टल aim.gov.in AIC-विशिष्ट शिकायतें संभालता है। DST dst.gov.in के माध्यम से TBI शिकायतें स्वीकार करता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) (pgportal.gov.in) समेकित केंद्रीय रास्ता है। सीड-फंड या अनुदान वितरण मुद्दों के लिए, DPIIT सीड फंड योजना पोर्टल का एक समर्पित निवारण कार्य है।